

कार्यालय, मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्रांक- 354 /11-सी-FP/UP/Road/36788/2018, लखनऊ, दिनांक: अगस्त 21, 2019

सेवा में,

अतिरिक्त वन महानिरीक्षक (केन्द्रीय),
भारत सरकार,
पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मन्त्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य क्षेत्र),
केन्द्रीय भवन, अलीगंज, लखनऊ।

विषय:- जनपद-गोरखपुर में सोनौली-गोरखपुर मार्ग (रा0मा0 सं0-29ई0) के किमी0 81.420 (जंगल कौड़िया) से किमी0 98.945 (मोददीपुर चौराहा) तक भाग को 4 लेन में चौड़ीकरण कार्य के अंतर्गत किमी0 85.500 (मानीराम रेलवे क्रासिंग) पर प्रस्तावित आर0ओ0बी0 के निर्माण में प्रभावित 0.19384 हे0 संरक्षित वनभूमि के बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में। (प्रस्ताव सं0-FP/UP/Road/36788/2018)

संदर्भ:- भारत सरकार का पत्रांक-8बी/यू0पी0/06/25/2019/एफ0सी0/36, दिनांक-10.04.2019

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र का अवलोकन करने की कृपा करें। उपरोक्त संदर्भित पत्र के द्वारा विषयगत प्रकरण में की गई आपत्तियों का बिन्दुवार निराकरण कर सूचना/अभिलेख मुख्य वन संरक्षक, गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर ने अपने पत्रांक-746/2-6, दिनांक 19.08.2019 एवं पत्रांक-345/2-6, दिनांक 19.07.2019 द्वारा इस कार्यालय को प्रेषित किया है।

अतः उक्त पत्रों की छायाप्रति सहित वांछित सूचना/अभिलेख मूल में इस आशय से संलग्न कर प्रेषित है कि कृपया विषयांकित प्रकरण आवश्यक अग्रेत्तर कार्यवाही करने की कृपा करें।

संलग्नक:-उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(पंकज मिश्र)

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।

संख्या- /11-सी- FP/UP/Road/36788/2018, दिनांकित।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रमुख सचिव (वन), उ0प्र0 शासन, पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2, लखनऊ।
2. मुख्य वन संरक्षक, गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर।
3. प्रभागीय वनाधिकारी, गोरखपुर वन प्रभाग, गोरखपुर।
4. कार्य अधीक्षक, अ0वि0नि0ई0 (रा0मा0), लो0नि0वि0, गोरखपुर।

(पंकज मिश्र)

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।